### उत्तर प्रदेश शासन

### परिवहन अनुभाग-4

## संख्या- । ८ /2024/1328/तीस-4-2024-30-4099(099)/229/2022

### लखनऊ: दिनांक: २७ सितम्बर , 2024

### अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के अधीन स्थापित किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र में उक्त यान को स्क्रैप कराये जाने की शर्त पर अधिसूचना संख्या-7/2023/372/तीस-4-2023-30-4099(099)/229/2022, दिनांक 11 मार्च, 2023 के अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन देय कर संदाय से और केन्द्र सरकार द्वारा जारी पूर्वोक्त नियमावली के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र में स्क्रैप कराये जाने वाले समस्त प्रकार के गैर परिवहन एवं परिवहन यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन संदेय शास्ति में पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 11 मार्च, 2023 द्वारा छूट प्रदान की गयी थी;

और चूँकि, पूर्वोक्त छूट पूर्वोक्त अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से 01 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 10 मार्च, 2024 तक प्रभावी थी;

non

और चूँकि, अधिसूचना संख्या-12/2024/559/तीस-4-2024-30-4099(099)/229/2022 दिनांक 11 जून, 2024 सपठित अधिसूचना संख्या-13/2024/851/तीस-4-2024-30-4099(099) /229/2022 दिनांक 24 जून, 2024 द्वारा छूट की पूर्वोक्त अवधि को दिनांक 10.09.2024 तक के लिए बढ़ायी गयी है;

और चूँकि, छूट की पूर्वोक्त अवधि को पुन: बढ़ाये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा चुकी है:

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के अधीन स्थापित किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र में उक्त यान को स्क्रैप कराये जाने की शर्त पर नीचे अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन देय कर संदाय से छूट प्रदान करते हैं और अग्रतर राज्यपाल केन्द्र सरकार द्वारा जारी मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र में स्क्रैप कराये जाने वाले समस्त प्रकार के गैर परिवहन एवं परिवहन यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन संदेय शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं;

परन्तु यह कि नीचे अनुसूची में यथा विस्तृत यानों पर शास्ति की छूट देय सम्पूर्ण कर पर अनुमन्य होगी।

परन्तु यह और कि उपरोक्त छूट, यान स्वामी को यान पर छूट के पश्चात संदेय एकमुश्त अवशेष धनराशि जमा करने पर ही उपलब्ध होगी।

(1) यह अधिसूचना दिनांक 11 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

(2) उक्त छूट, दिनांक 11 सितम्बर, 2024 से छह माह की अवधि अर्थात् दिनांक 10 मार्च, 2025 तक के लिए प्रभावी होगी।

क्रमांक	यान का विवरण	कर छुट
יאיא		
1	2	3
1	वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत समस्त श्रेणियों के यान	75 (पचहत्तर) प्रतिशत
2	वर्ष 2003 में या इसके पश्चात और वर्ष 2008 से पूर्व राज्य में	50 (पचास) प्रतिशत
	रजिस्ट्रीकृत समस्त श्रेणियों के यान	
3	वर्ष 2008 में या इसके पश्चात और वर्ष 2013 में या इसके पूर्व	50 (पचास) प्रतिशत
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले राज्य के जिलों में	
	रजिस्ट्रीकृत समस्त श्रेणियों के डीजल चालित यान	<u> </u>

(एल0 वेंकटेश्वर ल प्रमुख सचिव

## सारणी

# <u> संख्या- 10/2024/1328(1)/तीस-4-2024-30-4099(099)/229/2022, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्नक-यथोक्त। आज्ञा से

(कें0पी0 सिंह) विशेष सचिव

# <u> संख्या- 18 /2024/1328(2)/तीस-4-2024-30-4099(099)/229/2022, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी व हिन्दी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनोंक २7 सितम्बर, 2024 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्नक-यथोक्त। आज्ञा से,

(कें0पी0 सिंह)

विशेष सचिव

# <u>संख्या- 18 /2024/1328(3)/तीस-4-2024-30-4099(099)/229/2022, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सचिव, भारत सरकार, सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई V/ दिल्ली।
- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 2.
- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ। 3.
- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा 4. परिवहन आयुक्त)।
- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)। 5.
- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपींलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 6.
- गार्ड फाइल। 7.

आज्ञा से, के०पी० सिंह) विशेष सचिव

### UTTAR PRADESH SHASAN PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 19/2024/1328/XXX-4-2024-30-4099(099)/229/2022, dated27-September, 2024

#### **Notification**

### No. 18/2024/1328/XXX-4-2024-30-4099(099)/229/2022 Lucknow; Dated:27September, 2024

WHEREAS under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) (hereinafter referred to as the "said Act"), the payment of tax due under section 4 of the said Act upto the limit as specified in the Schedule of Notification no. 7/2023/372/XXX-4-2023-30-4099(099)/ 229/2022 dated 11 March, 2023 on the condition of getting the said vehicle scrapped in a Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 and the penalty payable under section 9 of the said Act, on all types of non-transport and transport vehicles to be scrapped at the Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the aforesaid rules issued by the Central Government, were exempted vide aforesaid notification dated 11 March, 2023;

AND WHEREAS the aforesaid exemption was effective for a period of one year from the date of issuing the aforesaid notification i.e. till 10 March, 2024;

AND WHEREAS aforesaid period of exemption was increased up to 10.09.2024 vide Notification no.12/2024/559/XXX-4-2024-30-4099(099)/ 229/2022 dated 11 June, 2024 read with Notification no.13/2024/851/XXX-4-2024-30-4099(099)/ 229/2022 dated 24 June, 2024;

AND WHEREAS there has been felt a need to extend the aforesaid period of exemption again;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 3 of the said Act, the Governor is pleased to provide exemption from the payment of tax due under section 4 of the said Act upto the limit as specified in the Schedule below on the condition of getting the said vehicle scrapped in a Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 and the Governor is further pleased to provide 100% exemption in penalty payable under section 9 of the said Act, on all types of nontransport and transport vehicles, to be scrapped at the Registered Vehicle Scrapping Facility Centre established under the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 issued by the Central Government:

Provided that exemption of penalty on the vehicles as detailed in the Schedule below shall be admissible on the entire due tax:

Provided further that the above exemption shall be available to the vehicle owner only on depositing the remaining amount in lump sum payable after the exemption.

- (1) This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 11<sup>th</sup> day of September, 2024.
- (2) The above exemption shall be effective for a period of six months from 11 September, 2024 i.e. till 10 March, 2025.

S.no.	Vehicle Description	Tax Exemption
1	11	
1.	Vehicles of all categories registered in the State before the year 2003	75 (Seventy-five) percent
2.	Vehicles of all categories registered in the State in or after the year 2003 and before the year 2008	50 (Fifty) percent
3.	Diesel vehicles of all categories registered in the districts of the National Capital Region falling in the State in or after the year 2008 and before or in the year 2013	50 (Fifty) percent

SCHEDULE

By Order, Venkateshwar(ly) (1 Principal Secretary